

**Office of the Divisional Commissioner, Shimla Division,
Shimla-171002**

ORDER

Sunni Dam Hydro Electric Project (382 MW) has been allotted to M/s SJVN Ltd., which is a joint venture of Government of India and Government of Himachal Pradesh, for construction and operation. For the execution of this project the Govt. of H.P. in the Deptt. Of MPP & Power has issued notification No. MPP-F(5)-8/2018-II dated 19-1-2021 u/s 11 (1) of the RFCTLARR, Act, 2013 for acquisition of land measuring 44-25-41 hectare situated in mohal Lunsu, Khaira, Jaishi, Bharara, Talah, Ogli, Kothi, Malgi, Bathora, Pandoa, Grehna Tehsil Sunni and Mohal Jhunjan and Majhrog of Tehsil Kumarsain, District Shimla H.P.

Out of the total private land measuring 44-25-41 Hectares to be acquired, land area measuring 43-14-98 hectares lies in 11 villages of Tehsil Sunni, District Shimla and land area measuring 1-10-43 hectare falls in 2 revenue villages of Tehsil Kumarsain, District Shimla.

The Additional District Magistrate (P) Shimla was appointed as Administrator for the purpose of preparing Rehabilitation and Resettlement Scheme under Section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Rule 7 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation, Rehabilitation and Resettlement and Development Plan) Rules, 2016 for the affected families of the above villages. Administrator has conducted the survey and census of affected families and has prepared a detailed draft Rehabilitation & Resettlement scheme for the affected families as per the provisions contained in RFCTLARR, Act-2013. Draft R&R Scheme was given wide publicity by publication in the official gazette and in two daily news papers circulated in the locality and was discussed in the concerned gram sabhas as required under section 16 of the Act. Public hearings were also conducted by the Officers authorized by the Administrator on different dates mentioned in the scheme.

The State Govt. vide notification dated 07.02.2023 has constituted a Committee headed by District Collector under the Provisions of Section 45 of the Act ibid for reviewing the progress and implementation of this R&R Scheme. The draft R&R

W. P. Singh

1954
1955
1956

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200

2201

2202


2203

2204

Scheme prepared by the R&R Administrator and has been recommended by the said Committee for approval.

A meeting was conducted on 10-03-2023 with the R&R Administrator (Additional District Magistrate - P, Shimla), representative of SDO (C) Shimla (R), Land Acquisition Officer and General Manager of the Sunni HEP to discuss the R&R Scheme and to address the grievances raised by some of project affected persons who have submitted written objections to the said scheme. The R&R Scheme was examined in detail and various related issues regarding the entitlements of the affected families as per Schedule-II & III. The R&R Administrator was asked to clarify the position on the low attendance of affected families in the public hearings and to file reply on the representations received before me requesting inadequate publicity of the Scheme. The ADM (P), Shimla has submitted point wise clarification on the issues pointed out. I have given thoughtful consideration and has minutely perused the R&R Scheme including the clarifications given by the ADM(P). It has been specifically clarified that the draft R&R Scheme has given wide publicity in the locality as required under the rules and during the public hearing there were maximum presence of the affected persons in support of which videography was carried out at the spot. The infirmities/shortcomings pointed out in the meeting dated 10-3-23 stand duly addressed by the District Collector.

Now I, Sandeep Kadam, (IAS), Divisional commissioner, Shimla Division and Commissioner Rehabilitation & Resettlement in exercise of power under Section-18 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act of 2013, do hereby accord approval to the Rehabilitation & Resettlement Scheme prepared by the R&R Administrator-cum-Additional District Magistrate (P) Shimla for the affected families of land acquisition falling within the jurisdiction of District Shimla subject to the condition that R&R Administrator shall incorporate the legal heirs of all deceased persons in the Scheme before finalizing the award.


Sandeep Kadam, IAS
Commissioner R&R
Sunni Dam HEP, Sunni

'DRAFT'
Rehabilitation and Resettlement Scheme
for affected families
of
Mohal Kothi, Gram Panchayat, Ogli, Sub-Tehsil Jalog,
Distt. Shimla
due to acquisition for
Sunni Dam Hydro Electric Project
(382 MW)

M

INDEX

Sr. No	Contents	Page No.
1.	Index, Background, History of Project and need for formation of R&R Scheme	1-4
2.	Period for the implementation of R & R Scheme	4-4
3.	Definitions	5-6
4.	Elements of R&R Entitlements	7-9
	Tables showing various data pertaining to Mohal Kothi: -	10-10
	Table No.-1 showing details of land owners of Mohal Kothi and their particulars	11-21
	Table No.-2 details of land less families	22-22
	Table No.-3 details of houses which are under acquisition	23-23
	Table No.-4 details of Houseless families	24-24
	Table No.-5 detail of Cultivator.	25-25
	Table No.-6 details of SC and ST families	26-31
	Table No.-7 details of public utilities under acquisition	32-32
	Table No.-8 R&R Entitlements	33-33
	Table No.-9 Common Assests under acquisition	34-34
	Table No.-10 Due to Acquisition the detail of land owners who are dependent on the land.	35-38
	Table No.-11 Family eligible for financial benefits due to acquisition.	39-44

**OFFICE OF THE ADDL. DISTRICT MAGISTRATE-CUM-ADMINISTRATOR, DISTT. SHIMLA,
(H.P)**

1. BACKGROUND, HISTORY OF PROJECT AND NEED FOR FORMATION OF R&R SCHEME.

REHABILITATION AND RESETTLEMENT SCHEME FOR THE REHABILITATION OF PROJECT AFFECTED FAMILIES DUE TO ACQUISITION OF LAND MEASURING 44-25-41HECTARES (588.00 BIGHA) IN RESPECT OF MOHAL LUNSU, KHAIRA, JAISHI, BHARARA, TALAH, OGLI, KOTHI, MALGI, BATHORA, PANDOA, GREHANA OF TEHSIL SUNNI AND MOHAL JHUNJAN& MAJROG TEHSIL KUMARSAIN, DISTT. SHIMLA (H.P)

Requiring body/Executing Agency: - SJVN Limited.

Name of Project: - Sunni Dam Hydro Electric Project (382 MW)

1.1 BACKGROUND, HISTORY AND PROVISION FOR THE REHABILITATION AND RESETTLEMENT SCHEME:

Sunni Dam Hydro Electric Project (382 MW) has been allotted to the M/S SJVN Limited which is joint venture of Govt. of India and Govt. of Himachal Pradesh vide letter No. HPDOE/CE (Energy)/Luhri HEP/Vol-II/2017-4679-80 Dated 29.08.2017 of the Director, Energy, HP for construction and operation. For the execution of above project, the Govt. of HP department of MPP & Power has issued notification No. MPP-F(5)-8/2018-II dated 19.01.2021 under section 11(1) of the RFCTLARR, Act-2013 hereinafter act, 2013 for land measuring 44-25-41 Hectare (588.00 Bigha) situated in Mohal Lunsu, Khaira, Jaishi, Bharara, Talah, Ogli, Kothi, Malgi, Bathora, Pandoa, Grehana of Tehsil Sunni and Mohal Jhunjan& Majrog Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla (H.P) in favour of M/S SJVN Ltd. In the above notification the ADM, Shimla has been appointed as administrator for preparing the Rehabilitation and Resettlement Scheme hereinafter R&R Scheme u/s 16 of the act, 2013 read with Rule-7 of the HP RFCTLARR (Compensation, Rehabilitation & Resettlement and Development Plan) Rule-2016 hereinafter Rules, 2016 for the affected families of above villages.



Further, ADM, Shimla vide his office letter no. SML-Rev (Land Acq.)-2020/-1617 dated 06.03.2021 has directed the SDM, Shimla(Rural) and *SDM, Kumarsain* even letter no dated 08.06.2021 to proceed further as per provisions of ibid act and rules.

- 1.2** Rule 7 of the Rules, 2016 provides that Administrator has to conduct a survey and undertake a census of the affected families within a period of two months. Keeping in view the direction given by HP Govt. door to door survey and census of the affected families was required to be completed w.e.f. 20.02.2021 to 19.04.2021. But due to Covid-19 this task could not be completed within the stipulated period. After completing survey and census work, Tehsildar, Sunni and Kumarsain detailed draft of R&R Scheme for Mohal Lunsu, Khaira, Jaishi Bharara, Talah, Ogli, Kothi, Malgi, Bathora, Pandoa, Grehana, Tehsil Sunni and Mohal Jhunjan& Majrog, Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla prepared as per provision in HP RFCTLARR, Act-2013.

Before start of door-to-door survey and census the provisions of the Act 2013 and Rules 2016 were gone through thoroughly, the definitions given in the Act 2013 were found appropriate to discuss the same which are relevant for the preparation of the **draft Resettlement and Resettlement Scheme**. Therefore, such definitions provided under Section 3 of the Act 2013, are reproduced as under: -

2. PERIOD FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REHABILITATION AND RESETTLEMENT SCHEME:

- Land is being Acquired for reservoir purpose. Therefore, this Rehabilitation and Resettlement Scheme shall be implemented six months prior to submergence of land.
- Families being displaced are rehabilitated well before taking possession of dwelling houses.
- Rehabilitation and Resettlement monitory benefits detailed in this scheme be paid to the affected families along with compensation of land.

3. DEFINITIONS: -

c) "Affected Family" includes:

- i) A family whose land or other immovable property has been acquired.
- ii) A family which does not own any land but a member or member of such family may be agricultural labourers, tenants including any form of tenancy or holding of usufruct right, share croppers or artisans or who may be working in the affected area for three year prior to the acquisition of land, whose primary source of livelihood stand affected by the acquisition of land.
- iii) The Schedule Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights recognized under the Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act2006 due to acquisition of land.
- iv) Family whose primary source of livelihood for three years prior to the Purchase of land is dependent on forest or water bodies and includes gatherers of forest produce, hunters, fisher's folk and boatmen and livelihood is affected due to acquisition of land.
- v) A member of the family who has been assigned land by the State Government or the Central Government under any of its scheme and such land is under acquisition of land.
- vi) A family residing on any land in the urban areas for proceeding three years or more prior to the acquisition of land or whose primary source of livelihood for three years prior to the acquisition of land is affected by the acquisition of land.

k) "Displaced Family" means any family, who on account of acquisition of landhas to be relocated and resettled from the affected area to the resettlement area.

m) "Family" includes a person, his or her spouse minor children, minor brother and minor sister dependent on him provided that widows, divorcees and women deserted by families shall be considered separate families

Explanation- An adult of either gender with or without spouse or children or dependents shall be considered as a separate family for the purpose of this Act.



r) **“Land owner”** includes any person;

- (i) Whose name is recorded as the owner of the land or building or part thereof, in the record of the authority concerned; or
- (ii) Any person who is granted forest rights under the Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 or under any other law for the time being in force; or
- (iii) who is entitled to be granted Patta rights on the land under any law of the State including assigned lands; or
- (iv) any person who has been declared as such by an order of the court or authority.

3.1 Thus, in view of the provisions given in the definition of the word “family” vide clause (m) of section 3 of the Ac2013, it is quite clear that for the purposes of this Act and for the finalization of the Resettlement and Rehabilitation Scheme, the adult members of a household of either gender with or without spouse or children or dependants are to be considered as a separate family and all such families shall be in the category of the “affected families” if they satisfy the conditions laid in sub clause (i) to (vi) of the clause (c) of Section 3 of the Act 2013 which defines the “affected family”.

3.2 The field survey and census work started by the field revenue staff of Tehsil Sunni and Kumarsain on 20.02.2021. There are 1773 landowners of Tehsil Sunni and Kumarsain. Out of above landowners some landowners were residing at unknown places as their address was not forthcoming even after making enquiry from neighbour landowners. The field staff reported difficulties being faced by them in collection of data and to find out the address/Mobile Nos. of those landowners who are residing out of the affected area. The land is contiguous to left bank of river Satluj.

3.3 Finally even after hindrance due to Covid-19 and field difficulties, survey of all kind of trees, structures enumerated in the presence of landowners and after door to door survey & census data pertaining to landowners and tenants their land holding, Aadhar No., land under acquisition , landless agriculture labourers who lost livelihood due to acquisition of land, common and Govt. property under acquisition , displaced families, infrastructure in the affected area, traders or businesses, village artisans in the affected area, landless and houseless families and Scheduled Castes and Scheduled Tribes families, handicapped or physically challenged persons in the affected area etc. were collected.

4 Elements of Rehabilitation and Resettlement Entitlements

Sr.No.	Elements of Rehabilitation and Resettlement Entitlements	Provision applicable to the affected families as per Right to Fair Compensation and Transparency in Land Purchase and R&R Act 2013	Whether provided or not (if provided, details to be given)
1	2	3	4
4.1	Provision of housing units in case of displacement	<p>(1) If a house is lost in rural areas, a constructed house shall be provided as per the Indira Awas Yojana specifications. If a house is lost in urban areas, a constructed house shall be provided, which will be not less than 50 sq. mts in plinth area.</p> <p>(2) The benefits listed above shall also be extended to any affected family which is without homestead land and which has been residing in the area continuously for a period of not less than three years preceding the date of notification of the affected area and which has been involuntarily displaced from such area: Provided further that if any affected family in rural areas so prefers, the equivalent cost of the house may be offered in lieu of the constructed house: Provided also that no family affected by Purchase shall be given more than one house under the provisions of this Act.</p>	Indira Awas yojana has been replaced by Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin) wherein Rs 1,30,000/-is being provided for construction of a house and Rs 12000/- for construction of Toilet.
4.2	Land for Land	In the case of irrigation project, as far as possible and in lieu of compensation to be paid for land acquired, each affected family owning agricultural land in the affected area and whose land has been acquired or lost, or who has, as a consequence of thePurchase or loss of land, been reduced to the status of a marginal farmer or landless, shall be allotted, in the name of each person included in the records of rights with regard to the affected family, a minimum of one acre of land in the command area of the project for which the land is acquired. Provided that in every project those persons losing land and belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes will be provided land equivalent to land acquired or two and a one-half acre, whichever is lower.	Not applicable Being hydroelectric project.

R

4.3	offer for Developed Land	In case the land is acquired for urbanization purposes, twenty per cent. of the developed land will be reserved and offered to land owning project affected families, in proportion to the area of their land acquired and at a price equal to the cost of Purchase and the cost of development: Provided that in case the land-owning project affected family wishes to avail of this offer, an equivalent amount will be deducted from the land Purchase compensation package payable to it	Not applicable
4.4	Choice of Annuity or Employment	The appropriate Government shall ensure that the affected families are provided with the following options: (a) where jobs are created through the project, after providing suitable training and skill development in the required field, make provision for employment at a rate not lower than the minimum wages provided for in any other law for the time being in force, to at least one member per affected family in the project or arrange for a job in such other project as may be required; or (b) one-time payment of five lakhs rupees per affected family; or (c) Annuity policies that shall pay not less than two thousand rupees per month per family for twenty years, with appropriate indexation to the Consumer Price Index for Agricultural Labourers.	
4.5	Subsistence grant for displaced families for a period of one year	Each affected family which is displaced from the land acquired shall be given a monthly subsistence allowance equivalent to three thousand rupees per month for a period of one year from the date of award. In addition to this amount, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes displaced from Scheduled Areas shall receive an amount equivalent to fifty thousand rupees. In case of displacement from the Scheduled Areas, as far as possible, the affected families shall be relocated in a similar ecological zone, so as to preserve the economic opportunities, language, culture and community life of the tribal communities	
4.6	Transportation cost for displaced families	Each affected family which is displaced shall get a onetime financial assistance of fifty thousand rupees as transportation cost for shifting of the family, building materials, belongings and cattle.	
4.7	Cattle shed/Petty shops cost	Each affected family having cattle or having a petty shop shall get one-time financial assistance of such amount as the appropriate Government may, by notification, specify subject to a minimum of twenty-five thousand rupees for construction of cattle shed or petty shop as the case may be.	

4.8	One-time grant to artisan, small traders and certain others	Each affected family of an artisan, small trader or self-employed person or an affected family which owned non-agricultural land or commercial, industrial or institutional structures in the affected area, and which has been involuntarily displaced from the affected area due to land Purchase, shall get one-time financial assistance of such amount as the appropriate Government may, by notification, specify subject to a minimum of twenty-five thousand rupees.	
4.9	Fishing rights	In case of irrigation or hydel projects, the affected families may be allowed fishing rights in the reservoirs, in such manner as may be prescribed by the appropriate Government.	
4.10	One-time Resettlement Allowance	Each affected family shall be given a one-time Resettlement Allowance of fifty thousand rupees only	
4.11	Stamp duty and registration fee	(1) The stamp duty and other fees payable for registration of the land or house allotted to the affected families shall be borne by the Requiring Body. (2) The land for house allotted to the affected families shall be free from all encumbrances. (3) The land or house allotted may be in the joint names of wife and husband of the affected family.	

On the basis of data collected under Section 16(1) to 16(3) of the Act, 2013 and Rule 7(1) to 7(4) of the Rules 2016 and other related records this draft Rehabilitation and Resettlement Scheme of Mohal under acquisition was drawn up strictly keeping in view the above entitlements in respect of affected families defined under Section 3(c)(i) to 3(c)(v) and 3(m) of the Act 2013 which is as under: -

R

Mohal Kothi

In this Mohal land measuring 0.5522 Hectare (7-7 Bigha.) from 34 landowners is under acquisition which is contiguous to right bank of river Satluj and this area falls under Gram Panchayat, Ogli, Distt. Shimla.

Particulars of land owners, tenants, land holding, land under acquisition, Aadhar Number and Landless agricultural labourer etc., collected during survey and census of this Mohal are as under: -

- i) **Particulars of landowners with Aadhaar number their total land holding, land and immobile property or assets attached to the land which are to be acquired: -**

During the survey and census particulars of landowner's, Aadhar No., Landless, Agriculture labour details of their land holdings, under acquisition have been prepared and tabulated as under: -

Table No-1

महाल कोठी, उप-तहसील जलोग, जिला शिमला (हि.प्र.) में अर्जित की जा रही भूमि, अचल सम्पति व मालकान का विस्तृत विवरण

क्रम सं.	नाम मालिक मय पता	खसरा नम्बरान	कुल अर्जित भूमि	हिस्सा	रकवा (है० में)	अर्जन के अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र में अन्य रकबा	पक्का मकान व अन्य संरचना अर्जन के अधीन	कच्चा मकान व अन्य संरचना अर्जन के अधीन (गौशाला इत्यादि)	मलकियती भूमि में पेइ		वर्ग सामान्य, पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी, मुस्लिम	भू-मालिक का आधार संख्या	विवरण
									फलदार	गैर फलदार			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	भूपेन्द्र कुमार पुत्र देविन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	607	0-23-44	7/900	0-00-19	005-24	-	-	-	35	कोली हरनोट S. C	-
2	दिवेश कुमार पुत्र देविन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	607	0-23-44	7/900	0-00-18	0-05-24	-	-	-	-	S. C	-
3	पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र देविन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	607	0-23-44	7/900	0-00-18	0-05-24	-	-	-	-	S. C	-

4	श्रमति इन्द्रा देवी पुत्री देविन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	607	0-23-44	7/900	0-00-18	0-05-24	-	-	-	-	S. C	-	
5	श्रीमति रमा विधवा देविन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	607	0-23-44	7/900	0-00-18	0-05-24	-	-	-	-	S. C	-	
6	राकेश कुमार पुत्र श्रीमति विद्या देवी स्थानिय वासी	607	0-23-44	7/720	0-00-23	0-04-38	-	-	-	-	S. C	-	

7	हितेश कुमार पुत्र श्रीमति विद्या देवी स्थानिय वासी	607	0-23-44	7/720	0-00-23	0-04-38	-	-	-	-	S. C	-	
8	श्रीमति सुनिता देवी पत्नी श्रीमति विद्या देवी स्थानिय वासी	607	0-23-44	7/720	0-00-23	0-04-38	-	-	-	-	S. C	-	
9	श्रीमति रक्षा देवी पत्नी श्रीमति विद्या देवी स्थानिय वासी	607	0-23-44	7/720	0-00-22	0-04-38	-	-	-	-	S. C	-	
10	श्रीमति पुष्पा देवी पुत्री टिकम दास स्थानिय वासी	607	0-23-44	7/180	0-00-91	0-17-63	-	-	-	-	S. C	-	

11	श्रीमति धनेश्वरी विधवा टिकम दास स्थानिय वासी	607	0-23-44	71/180	0-00-91	0-15-06	-	-	-	-	S. C	-	
12	दिलाराम पुत्र दलारी स्थानिय वासी	607	0-23-44	11/60	0-04-30	01-41-13	-	-	-	-	S. C	-	
13	निकाराम पुत्र श्रीमति हुकुमु पुत्री मदन स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/18	0-01-30	0-24-43	-	-	-	-	S. C	-	
14	श्रीमती नेहा पत्नी दुष्यन्त कुमार स्थानिय वासी	607	0-23-44	5/54	0-02-17	0-37-23	-	-	-	-	S. C	-	नोट:- बरुये ई0न0 229 बै0 तरिख फै0 15.07.21 से मालिका बनी व सुरेश कुमार पुत्र सैहजू मालिक न रहा।

1

15	कुमारी नीला देवी पुत्री सैहजू स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/27	0-00-87	0-16-28	-	-	-	-	S. C	-	
16	कुमारी आशा देवी पुत्री सैहजू स्थानिय वासी	607	0-23-44	1-27	0-00-87	0-16-28	-	-	-	-	S. C	-	
17	तुला राम पुत्र सीतू स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0-00-78	0-38-43	-	-	-	-	S. C	-	

18	बिशन दास पुत्र सीतू स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0.0078	0-38-43	-	-	-	-	S. C	-	
19	सुरत राम पुत्र सीतू स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0-00-78	0-38-43	-	-	-	-	S. C	-	
20	रेवा दास पुत्र सीतू स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0-00-78	0-38-44	-	-	-	-	S. C	-	
21	श्रीमति पचंमू विधवा सीतू स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0-00-78	0-38.44	-	-	-	-	S. C	-	
22	हिमाराम पुत्र हुक्मियां स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0-00-78	0-22-56	-	-	-	-	S. C	-	

h

23	भास्करानन्द पुत्र हुक्मियां स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0-00-78	0-22-56	-	-	-	-	S. C	-	
24	सुरेश कुमार पुत्र हुक्मियां स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0-00-78	0-22-56	-	-	-	-	S. C	-	
25	श्रीमति सुमित्रा देवी पुत्री हुक्मियां स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0-00-78	0-22-56	-	-	-	-	S. C	-	

26	श्रीमति चन्द्रा देवी पुत्री हुक्मियां स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0-00-78	0-22-56	-	-	-	-	S. C	-	
27	रोशन लाल पुत्र बुद्ध राम स्थानिय वासी	604, 605	0-31-78	1/5	0-06-36	0-09-24	-	1 मकान कच्चा 2 कमरे चादर पोश	1	11	S. C	-	
28	धर्म प्रकाश पुत्र बुद्ध राम स्थानिय वासी	604, 605	0-31-78	1/5	0-06-36	0-09-24	-		-	-	-	-	
29	श्रीमति नांजू देवी विधवा बुद्धराम स्थानिय वासी	604, 605	0-31-78	1/5	0-06-35	0-09-24	-		-	-	S. C	-	

30	श्रीमति इन्द्रावती देवी पुत्री बुद्धराम स्थानिय वासी	604, 605	0-31-78	1/5	0-06-35	0-09-24	-	-	-	-	S. C	-	
31	श्रीमति चन्द्रावती पुत्री बुद्धराम स्थानिय वासी	604, 605	0-31-78	1/5	0-06-35	0-09-24	-	-	-	-	S. C	-	
32	पुषपेन्द्र कुमार पुत्र श्रीमति विद्या स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/36	00-00- 65	0-12-21	-	-	-	-	S. C	-	
33	इन्द्रसिंह पुत्र श्रीमति विद्या स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/36	00-00- 65	0-12-21	-	-	-	-	S. C	-	

34	श्रीमति नन्दी पुत्री जानकू	607	0-23-44	1/18	0-01-30	0-24-42	-	-	-	-	S. C		
----	-------------------------------	-----	---------	------	---------	---------	---	---	---	---	------	--	--

R

Table No-2

विवरण भू-मालकान जिनकी सम्पूर्ण भूमि अर्जन के उपरान्त भूमिहीन हो रहे हैं व आजीविका प्रभावित हुआ हो।

क्रमांक	मालिक का नाम व पता	कुल मलकियति रकबा जो प्रभावित क्षेत्र के भीतर का विवरण	कुल रकबा में से अर्जित रकबा	शेष रकबा	क्या भू-मालिक भूमिहीन हो रहा है ?	क्या अर्जन से भू-मालिक की आजीविका प्रभावित हो रही है ? कृषि के अतिरिक्त अन्य आय के साधन ।	विवरण 1 के किस क्रम संख्या पर मालिक का नाम दर्शाया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8
मामुर है							

In this Mahal, no landless due to acquisition of land. If a land owner is becoming landless, then affidavit should be taken from him/her.

Table No-3

अधिग्रहण के अधीन मकानों का विवरण

क्रमांक	मकान मालिक का नाम व वर्तमान निवास स्थान	पक्का मकान व अन्य संरचना अर्जन के अधीन	अर्जन के अधीन मकान का वर्तमान में किस उपयोग में लाया जा रहा है।	मकान मालिक का अर्जन क्षेत्र के भीतर रिहायशी मकान के अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र में रिहायशी मकान होने पर पूर्ण विवरण।	क्या मकान मालिक मकानहीन हो रहे हैं।	मकान मालिक मकानहीन की सूची में मकान बनाने के लिए निजी भूमि उपलब्ध है कि नहीं।	निजी भूमि रिहायशी मकान बनाने के लिए उपलब्ध न होने पर विस्थापितों को बसाने के लिए चयनित स्थान पर पुर्नवास के लिए इच्छुक है या नहीं	मकान मालिक आर्थिक सहायता से स्वयं मकान बनाने या निर्मित मकान का इच्छुक है	मालिक का आधार नम्बर	वर्ग	विवरण 1 के किस क्रम संख्या पर मालिक का नाम दर्शाया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रोशन लाल पुत्र बुद्ध राम स्थानिय वासी	1 मकान कच्चा 2 कमरे चादर पोश	गैर-रिहायशी	हां	नहीं	हां	पात्रता नहीं रखता है।	पात्रता नहीं रखता है।	-	अनुसूचित जाति	27
2	धर्म प्रकाश पुत्र बुद्ध राम स्थानिय वासी			हां	नहीं	हां	पात्रता नहीं रखता है।	पात्रता नहीं रखता है।	-	अनुसूचित जाति	28
3	श्रीमति नांजू देवी विधवा बुद्धराम स्थानिय वासी			हां	नहीं	हां	पात्रता नहीं रखता है।	पात्रता नहीं रखता है।	-	अनुसूचित जाति	29

Table No-4

विवरण मालकान के रिहायशी मकान अर्जन के कारण मकानहीन हो रहे हैं की सूची

क्रम सं.	मकान मालिक का नाम व वर्तमान निवास स्थान	पक्का मकान व अन्य संरचना अर्जन के अधीन	कच्चा मकान व अन्य संरचना अर्जन के अधीन	अर्जन के अधीन मकान का वर्तमान में किस उपयोग में लाया जा रहा है।	मकान मालिक का अर्जन क्षेत्र के भीतर रिहायशी मकान के अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र में रिहायशी मकान होने पर पूर्ण विवरण	क्या मकान मालिक मकानहीन हो रहा है ?	मकान मालिक मकानहीन होने की सूरत में मकान बनाने के लिए निजी भूमि उपलब्ध है या नहीं ?	निजी भूमि रिहायशी मकान बनाने के लिए उपलब्ध न होने पर विस्थापितों को बसाने के लिए चयनित स्थान पर पुनर्वास के लिए इच्छुक हैं या नहीं।	मकान मालिक आर्थिक सहायता से स्वयं मकान बनाने या निर्मित मकान का इच्छुक है ?	विवरण 1 के किस क्रम संख्या पर मालिक का नाम दर्शाया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मामुर है।

1) List of houses under Acquisition:

In this Mohal, no houseless are under acquisition. If a land owner is becoming houseless, then affidavit should be taken from him/her.

Table No-5

अर्जन से पूर्व ही भूमिहीन व जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर निर्भर है, भूमि पर किराएदार, राजस्व अभिलेख में दर्ज काश्तकार इत्यादि अर्जन के कारण आजीविका खोने वालों की सूची

क्रमांक	नाम मालिक	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा (है० में)	राजस्व अभिलेख में किस्म काश्तकार	विवरण 1 के किस क्रम संख्या पर मालिक का नाम दर्शाया गया है।
1	2	3	4	5	6	7
मामुर है।						

- 1) Particulars of a family which does not own any land but a member of agricultural labourer, tenants or holding of usufructright, share coppers, artisans who are working in the affected area for the last 3 years prior to the acquisition of the land whose primary sources of livelihood stand affected by the acquisition of land.

During the survey and census, no case of affected families were fund whose primarys sources of livelihood stand affected.

Table No-6

प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति, मानसिक विकलांग, शारीरिक विकलांग मालकान जिनकी भूमि अर्जित की जा रही है एवं अन्य इसी प्रकार के स्थानीय निवासियों की सूची

क्रमांक	नाम, आयु, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय व वर्तमान निवास	अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति	अनुसूचित जन जाति से संबंधित व्यक्ति	मानसिक विकलांग	शारीरिक विकलांग	यदि भूमि अर्जन के अधीन है तो भू-मालिक विवरण 1 के किस कम संख्या में दर्शाया गया है ?	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भूपेन्द्र कुमार पुत्र देवेन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	हां	-	-	-	1	
2	दिवेश कुमार पुत्र देवेन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	हां	-	-	-	2	
3	पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र देवेन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	हां	-	-	-	3	
4	श्रमति इन्द्रा देवी पुत्री देवेन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	हां	-	-	-	4	

5	श्रमति रमा विधवा देवेन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	हां	-	-	-	5	
6	राकेश कुमार पुत्र श्रीमति विद्या देवी स्थानिय वासी	हां	-	-	-	6	
7	हितेश कुमार पुत्र श्रीमति विद्या देवी स्थानिय वासी	हां	-	-	-	7	
8	श्रीमति सुनिता देवी पुत्री श्रीमति विद्या देवी स्थानिय वासी	हां	-	-	-	8	
9	श्रीमति रक्षा देवी पुत्री श्रीमति विद्या देवी स्थानिय वासी	हां	-	-	-	9	
10	श्रीमति पुष्पा देवी पुत्री टिकम दास स्थानिय वासी	हां	-	-	-	10	
11	श्रीमति धनेश्वरी विधवा टिकम दास स्थानिय वासी	हां	-	-	-	11	
12	दिलाराम पुत्र दलारी स्थानिय वासी	हां	-	-	-	12	



13	निकाराम पुत्र श्रीमति हुकुमु पुत्री मदन स्थानिय वासी	हां	-	-	-	13
14	सुरेश कुमार पुत्र सैहजू स्थानिय वासी	हां	-	-	-	14
15	कुमारी नीला देवी पुत्री सैहजू स्थानिय वासी	हां	-	-	-	15
16	कुमारी आशा देवी पुत्री सैहजू स्थानिय वासी	हां	-	-	-	16
17	तुला राम पुत्र सीतू स्थानिय वासी	हां	-	-	-	17
18	बिशन दास पुत्र सीतू स्थानिय वासी	हां	-	-	-	18
19	सुरत राम पुत्र सीतू स्थानिय वासी	हां	-	-	-	19
20	रेवा दास पुत्र सीतू स्थानिय वासी	हां	-	-	-	20
21	श्रीमति पंचमू विध्वा सीतू स्थानिय वासी	हां	-	-	-	21

22	हिमराम पुत्र हुक्मियां स्थानिय वासी	हां	-	-	-	22	
23	भास्करानन्द पुत्र हुक्मियां स्थानिय वासी	हां	-	-	-	23	
24	सुरेश कुमार पुत्र हुक्मियां स्थानिय वासी	हां	-	-	-	24	
25	श्रीमति सुमित्रा देवी पुत्री हुक्मियां स्थानिय वासी	हां	-	-	-	25	
26	श्रीमति चन्द्रा देवी पुत्री हुक्मियां स्थानिय वासी	हां	-	-	-	26	
27	श्रीमति पदमू देवी विधवा हुक्मियां स्थानिय वासी	हां	-	-	-	27	
28	रोशन लाल पुत्र बुद्ध राम स्थानिय वासी	हां	-	-	-	28	

R

29	धर्म प्रकाश पुत्र बुद्ध राम स्थानिय वासी	हां	-	-	-	29	
30	श्रीमति नांजू देवी विधवा बुद्धराम स्थानिय वासी	हां	-	-	-	30	
31	श्रीमति चन्द्रावती पुत्री बुद्धराम स्थानिय वासी	हां	-	-	-	31	
32	पुषपेन्द्र कुमार पुत्र श्रीमति विद्या स्थानिय वासी	हां	-	-	-	32	
33	इन्द्रसिंह पुत्र श्रीमति विद्या स्थानिय वासी	हां	-	-	-	33	

34	श्रीमति नन्दी पुत्री जानकू	हां				34	

i) Particulars of Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who lost any of their forest rights due to acquisition of land.

No private forest land is under acquisition affecting the rights. Hence, Nil.

ii) Particulars of family whose primary source of livelihood for 3 years prior to the acquisition of the land is dependent on forest or water bodies and includes gatherers of forest produce, hunters, fisher folk and boatmen and such livelihood are affected due to acquisition of land.

During the survey and census no such family found.

iii) A member of the family who has been assigned land by the State Govt. or the Central Govt. under any of its schemes and such land is under acquisition.

Nil.

iv) Particulars of trades or businesses in the affected area.

Nil.

v) List of persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes the handicapped or physically challenged persons in the affected area.

Land of 34 nos. of Scheduled Caste families is under acquisition and no land of Scheduled Tribe is under acquisition. Detail of such families are given.

Table No-7

विवरण सार्वजनिक उपयोगिताओं और सरकारी भवनों की सूची जो प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना है, जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया जाना है

क्रमांक	गांव का नाम	पंचायत का नाम	सामूहिक सम्पति व संसाधन जो अर्जन के अधीन है		
			शमशान घाट/ कब्रिस्तान	पुल/झूला इत्यादि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1			मामुर है।		

- i) Particulars of public utilities and Govt. buildings which are affected or likely to be affected, where resettlement of affected families is involved.
Nil

Table No-8

उन सुविधाओं और आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का विवरण जो प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना है, जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया जाना है की सूची				
क्रमांक	गांव का नाम	पंचायत का नाम	विवरण सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाएं जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किए जाने से प्रभावित होंगे	विवरण
1	2	3	4	5
1				मामुर है

i) **Details of the amenities and infrastructural facilities which are affected or likely to be affected, where resettlement of affected families is involved.**

Nil

ii) **Details of any common property resources being acquired.**

Nil

iii) **List of infrastructures in the affected area.**

Nil

iv) **Particulars of entitlements**

On the basis of above, the rehabilitation and resettlement entitlements of each affected family in accordance with Schedule-II of Act, 2013 in respect of Mohal Kothi is nil.

Table No-9

अर्जन किए जा रहे सामूहिक सम्पति व संसाधनों का विवरण।

क्रमांक	गांव का नाम	पंचायत का नाम	सामूहिक सम्पति व संसाधन जो अर्जन के अधीन है										
			कुहल/ चश्मा/ बावड़ी इत्यादि	पीने के पानी की पाईप लाईन/ नल इत्यादि	कच्चा, पक्का आम रास्ता	स्कूल सरकारी व गैर सरकारी व खेल का मैदान	सभी प्रकार की सरकारी सम्पति	शमशान घाट/ कब्रिस्तान	पुल/झूला इत्यादि	सामूहिक एकत्र होने का स्थान	चरागाह	अन्य सम्पति व संसाधन	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कोठी	ओगली	-	1	1	-	-	2	-	-	हां	1 पंप हाउस, 02 टैंक सरकारी	-

Table No-10

महाल कोठी, उप-तहसील जलोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में अर्जित की जा रही निजी भूमि के भू-मालिकों का उस भूमि पर निर्भरता का विवरण।

क्रम सं.	नाम मालिक मय पता	खसरा नम्बरान	कुल अर्जित भूमि	हिस्सा	रकबा (है० में)	अर्जन के अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र में अन्य रकबा	खाना न० 6 में दर्शिये गए र कवा पर क्या परिवार पूर्णतया निर्भर है या नहीं	यदि निर्भर नहीं तो अन्य साधन जैसे कि अन्य भूमि व नौकरी इत्यादि का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भूपेन्द्र कुमार पुत्र देविन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	607	0-23-44	7/900	0-00-19	005-24	नहीं	अन्य भूमि	
2	दिवेश कुमार पुत्र देविन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	607	0-23-44	7/900	0-00-18	0-05-24	नहीं	अन्य भूमि	
3	पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र देविन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	607	0-23-44	7/900	0-00-18	0-05-24	नहीं	अन्य भूमि	
4	श्रमति इन्द्रा देवी पुत्री देविन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	607	0-23-44	7/900	0-00-18	0-05-24	नहीं	अन्य भूमि	

5	श्रमति रमा विधवा देविन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	607	0-23-44	7/900	0-00-18	0-05-24	नही	अन्य भूमि	
6	राकेश कुमार पुत्र श्रीमति विद्या देवी स्थानिय वासी	607	0-23-44	7/720	0-00-23	0-04-38	नही	अन्य भूमि	
7	हितेश कुमार पुत्र श्रीमति विद्या देवी स्थानिय वासी	607	0-23-44	7/720	0-00-23	0-04-38	नही	अन्य भूमि	
8	श्रीमति सुनिता देवी पत्नी श्रीमति विद्या देवी स्थानिय वासी	607	0-23-44	7/720	0-00-23	0-04-38	नही	अन्य भूमि	
9	श्रीमति रक्षा देवी पत्नी श्रीमति विद्या देवी स्थानिय वासी	607	0-23-44	7/720	0-00-22	0-04-38	नही	अन्य भूमि	
10	श्रीमति पुष्पा देवी पुत्री टिकम दास स्थानिय वासी	607	0-23-44	7/180	0-00-91	0-17-63	नही	अन्य भूमि	
11	श्रीमति धनेश्वरी विधवा टिकम दास स्थानिय वासी	607	0-23-44	30-Jan	0-00-78	0-15-06	नही	अन्य भूमि	
12	दिलाराम पुत्र दलारी स्थानिय वासी	607	0-23-44	11/60	0-04-30	01-41-13	नही	अन्य भूमि	
13	निकाराम पुत्र श्रीमति हुकुमु पुत्री मदन स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/18	0-01-30	0-24-43	नही	अन्य भूमि	
14	श्रीमती नेहा पत्नी दुष्यन्त कुमार स्थानिय वासी	607	0-23-44	5/54	0-02-17	0-37-23	नही	अन्य भूमि	
15	कुमारी नीला देवी पुत्री सैहजू स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/27	0-00-88	0-16-28	नही	अन्य भूमि	
16	कुमारी आशा देवी पुत्री सैहजू स्थानिय वासी	607	0-23-44	1-27	0-00-88	0-16-28	नही	अन्य भूमि	
17	तुला राम पुत्र सीतू स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0-00-78	0-38-43	नही	अन्य भूमि	
18	बिशन दास पुत्र सीतू स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0.0078	0-38-43	नही	अन्य भूमि	

19	सुरत राम पुत्र सीतू स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0-00-78	0-38-43	नही	अन्य भूमि	
20	रेवा दास पुत्र सीतू स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0-00-78	0-38-44	नही	अन्य भूमि	
21	श्रीमति पचंमू विधवा सीतू स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0-00-78	0-38.44	नही	अन्य भूमि	
22	हिमाराम पुत्र हुक्मियां स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0-00-78	0-22-56	नही	अन्य भूमि	
23	भास्करानन्द पुत्र हुक्मियां स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0-00-78	0-22-56	नही	अन्य भूमि	
24	सुरेश कुमार पुत्र हुक्मियां स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0-00-78	0-22-56	नही	अन्य भूमि	
25	श्रीमति सुमित्रा देवी पुत्री हुक्मियां स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0-00-78	0-22-56	नही	अन्य भूमि	
26	श्रीमति चन्द्रा देवी पुत्री हुक्मियां स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/30	0-00-78	0-22-56	नही	अन्य भूमि	
27	रोशन लाल पुत्र बुद्ध राम स्थानिय वासी	604/605	0-31-78	1/5	0-06-36	0-09-24	नही	अन्य भूमि	
28	धर्म प्रकाश पुत्र बुद्ध राम स्थानिय वासी	604-605	0-31-78	1/5	0-06-36	0-09-24	नही	अन्य भूमि	
29	श्रीमति नांजू देवी विधवा बुद्धराम स्थानिय वासी	604/605	0-31-78	1/5	0-06-35	0-09-24	नही	अन्य भूमि	
30	श्रीमति इन्द्रावती पुत्री बुद्धराम स्थानिय वासी	604/605	0-31-78	1/5	0-06-35	0-09-24	नही	अन्य भूमि	
31	श्रीमति चन्द्रावती पुत्री बुद्धराम स्थानिय वासी	604/605	0-31-78	1/5	0-06-35	0-09-24	नही	अन्य भूमि	



32	पुषपेन्द्र कुमार पुत्र श्रीमति विद्या स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/36	00-00- 65	0-12-21	नही	अन्य भूमि	
33	इन्द्रसिंह पुत्र श्रीमति विद्या स्थानिय वासी	607	0-23-44	1/36	00-00- 65	0-12-21	नही	अन्य भूमि	
34	श्रीमति नन्दी पुत्री जानकू	607	0-23-44	1/18	0-01-30	0-24-42	नही	अन्य भूमि	

उपरोक्त के आधारपर, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन केलिए अधिनियम, 2013 की अनुसूचि-11 के अनुसार मोहाल कोठी के प्रत्येक परिवार निम्न आर्थिक देयता के पात्र होंगे:-

Table No-11

क्रम सं.	नाम मालिक मय पता	विस्थापन की दशा में आवासन इकाई की व्यवस्था/एक बारगी भत्ता-ईन्दरा आवास योजना के तहत देय राशि।	भूमि के लिए भूमि	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	विस्थापित कुटुंब के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	विस्थापित कुटुंब के लिए परिवहन खर्च	पुशबाडा/छोटी दुकान खर्च/घराट	कारीगए, छोटे व्यापारी और कृषिय अन्य के लिए एक बारगी अनुदान	मच्छली पकड़ने का अधिकार	एकबारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	भू-मालिक का आधार संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	भूपेन्द्र कुमार पुत्र देविन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	-	लागु नहीं होता है।	लागु नहीं होता है।	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
2	दिवेश कुमार पुत्र देविन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
3	पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र देविन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
4	श्रमति इन्द्रा दैवी पुत्री देविन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	

5	श्रमति रमा विधवा देविन्द्र कुमार स्थानिय निवासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
6	राकेश कुमार पुत्र श्रीमति विद्या देवी स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
7	हितेश कुमार पुत्र श्रीमति विद्या देवी स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
8	श्रीमति सुनिता देवी पत्री श्रीमति विद्या देवी स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
9	श्रीमति रक्षा देवी पत्री श्रीमति विद्या देवी स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
10	श्रीमति पुष्पा देवी पुत्री टिकम दास स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
11	श्रीमति धनेश्वरी विधवा टिकम दास स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	

12	दिलाराम पुत्र दलारी स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
13	निकाराम पुत्र श्रीमति हुकुमु पुत्री मदन स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
14	श्रीमती नेहा पत्नी दुष्यन्त कुमार स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
15	कुमारी नीला देवी पुत्री सैहजू स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
16	कुमारी आशा देवी पुत्री सैहजू स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
17	तुला राम पुत्र सीतू स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
18	बिशन दास पुत्र सीतू स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	

R

19	सुरत राम पुत्र सीतू स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
20	रेवा दास पुत्र सीतू स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
21	श्रीमति पचंमू विध्वा सीतू स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
22	हिमाराम पुत्र हुक्मियां स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
23	भास्करानन्द पुत्र हुक्मियां स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
24	सुरेश कुमार पुत्र हुक्मियां स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
25	श्रीमति सुमित्रा देवी पुत्री हुक्मियां स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	

26	श्रीमति चन्द्रा देवी पुत्री हुक्मियां स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-		
27	रोशन लाल पुत्र बुद्ध राम स्थानिय वासी	-	-यथा-	महाल ओगली में कंम संख्या 151 पर मालिक दर्ज है तथा वितीय लाभ भी वहीं उल्लेखित है।										-	
28	धर्म प्रकाश पुत्र बुद्ध राम स्थानिय वासी	-	-यथा-	महाल ओगली में कंम संख्या 152 पर मालिक दर्ज है तथा वितीय लाभ भी वहीं उल्लेखित है।										-	
29	श्रीमति नांजू देवी विधवा बुद्धराम स्थानिय वासी	-	-यथा-	महाल ओगली में कंम संख्या 155 पर मालिक दर्ज है तथा वितीय लाभ भी वहीं उल्लेखित है।										-	
30	श्रीमति इन्द्रावती पुत्री बुद्धराम स्थानिय वासी	-	-यथा-	महाल ओगली में कंम संख्या 153 पर मालिक दर्ज है तथा वितीय लाभ भी वहीं उल्लेखित है।										-	
31	श्रीमति चन्द्रावती पुत्री बुद्धराम स्थानिय वासी	-	-यथा-	महाल ओगली में कंम संख्या 154 पर मालिक दर्ज है तथा वितीय लाभ भी वहीं उल्लेखित है।										-	
32	पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र श्रीमति विद्या स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-		

श्रीमति
व्यक्ति (b)

33	इन्द्रसिंह पुत्र श्रीमति विद्या स्थानिय वासी	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-	-	-	-	-	-	50,000/-	-	-	
34	श्रीमति नन्दी पुत्री जानकू	-	-यथा-	-यथा-	5,00,000/-						50,000/-		-	

ADDL. DISTRICT MAGISTRATE-CUM-ADMINISTRATOR,
Add. District Magistrate (P) DISTT. SHIMLA, (H.P)
Shimla

विस्थापन की दशा में पुनर्व्यवस्थापन की सुविधा

सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना (382 मेगावाट) से प्रभावित परिवारों, जिन्हे अर्जित की जा रही भूमि से विस्थापित किया जाना है एवं वासक्षेत्र-भूमि से रहित है तथा जिनके द्वारा इंदिरा / प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान का विकल्प चुना गया है, को **मुहाल खैरा, ग्राम पंचायत चेबडी, तहसील सुन्नी के अन्तर्गत प्रस्तावित पुनर्व्यवस्थापन कॉलोनी** में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार परियोजना प्रबन्धन द्वारा पुनर्व्यवस्थापित किया जाएगा।

परियोजना की प्रस्तावित पुनर्व्यवस्थापन कॉलोनी में विस्थापित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए परियोजना प्रबन्धन द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अनुरूप निम्नलिखित अवसरंचात्मक एवं मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएगी :-

1. कॉलोनी तक पर्याप्त सड़क मार्ग की व्यवस्था की जाएगी।
2. पुनर्व्यवस्थापन से पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएंगी।
3. सुरक्षित पेयजल व्यवस्था।
4. कॉलोनी के भीतर एवं सड़क के किनारे पर वृक्षारोपण।
5. कॉलोनी के भीतर एवं सड़क के किनारे पर उचित विद्युत व्यवस्था।
6. सामुदायिक हॉल, बच्चों के लिए खेल मैदान एवं अन्य ढांचागत व्यवस्थाओं को विस्थापित परिवारों की आवश्यकता एवं सहमती/विचार-विमर्श के आधार पर तैयार किया जाएगा।

उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त मुहाल खैरा की ग्राम पंचायत चेबडी के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान, पंचायत घर, डाकघर, आंगनवाडी केन्द्र, प्राथमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधाएं वर्तमान में उपलब्ध है।


Divisional Commissioner,
Shimla Division, Shimla,
H. P. - 171002

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं प्रशासक,
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, जिला शिमला, हि.प्र.।

मुहाल कोठी एवं मालगी मे जनसुनवाई

भू- अर्जन, पुर्नवास एवं पुर्नव्यस्थापन में उचितप्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 के अन्तर्गत सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की प्रारूप पुर्नवास एवं पुर्नव्यस्थापन योजना को वृहत रूप से परियोजना प्रभावित क्षेत्र/ गांव में प्रचारित किया गया। इसके उपरान्त हितबद्ध व्यक्तियों/काश्तकारों को तीन (3) सप्ताह का नोटिस जारी किया गया ताकि हितबद्ध व्यक्ति/काश्तकार सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की ड्राफ्ट पुर्नवास एवं पुर्नव्यस्थापन योजना से सम्बन्धित अपने सुझाव, आपत्तियां, यदि कोई हो, को जन सुनवाई के दौरान दर्ज करवा सके।

तदनुसूत दिनांक 15-12-2022 को मुहाल कोठी व मालगी की जनसुनवाई उप-मण्डलाधिकारी (ना0) शिमला ग्रामीण की अध्यक्षता में निर्धारित की गई थी। निर्धारित जन- सुनवाई के दौरान हितबद्ध व्यक्तियों/काश्तकारों को सुना गया एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आपत्तियों को जनसुनवाई के दौरान दर्ज किया गया।

उपरोक्तनुसार दिनांक 15-12-2022 को ग्राम लुणसु व खैरा में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) शिमला ग्रामीण की अध्यक्षता में जन सुनवाई सम्पन्न की गई, जिसमें सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के प्रभावित क्षेत्र के मुहाल कोठी व मालगी के कुल 13 भू-धारकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया तथा जिला प्रशासन एवं परियोजना प्रबन्धन के निम्नलिखित अधिकारियों की उपस्थिति दर्ज की गई-

1. श्री अशवनी सूद, भू अर्जन अधिकारी, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना ।
2. श्री बलजीत सिंह, वरिष्ठ अपर महाप्रबन्धक (मानव संसाधन), सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना ।
3. श्री नायब तहसीलदार, सुन्नी, जिला शिमला, हि.प्र. ।
4. श्री शैलेश दत्त, वरिष्ठ प्रबन्धक (मानव संसाधन), सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना ।
5. श्री कमलेश भारद्वाज, प्रबन्धक (आर एण्ड आर) सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना ।
6. श्री जगतार सिंह, सहा. प्रबन्धक (सिविल/मानव संसाधन), सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना
7. श्री तरुण उपाध्याय, सहायक प्रबन्धक (आर एण्ड आर), निगम कार्यालय, शिमला।

जनसुनवाई की शुरुवात में उप-मण्डलाधिकारी (ना0), शिमला-ग्रामीण, शिमला द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, उपस्थित सभी मालकानों/हितबद्ध व्यक्तियों का अविवादन किया एवं सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की ड्राफ्ट पुर्नवास एवं पुर्नव्यस्थापन योजना के मुख्य बिन्दुओं एवं प्रावधानों से अवगत करवाया गया। तदोपरान्त नायब तहसीलदार, जलोग श्री सलीम मोहम्मद द्वारा भू-अर्जन, पुर्नवास एवं पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में निहित प्रावधानों का विस्तृत ब्यौरा दी जाने से की गई। इसके उपरान्त जन सुनवाई के अध्यक्ष / उपमण्डलाधिकारी शिमला एवं एस0 जे0 वी0 एन0 अधिकारियों द्वारा उपस्थित भू-धारको/ हितबद्ध व्यक्तियों को सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की ड्राफ्ट पुर्नवास एवं

पुनर्व्यस्थापन योजना में दिए गये प्रावधानों से अवगत करवाया गया एवं अंत में हितबद्ध व्यक्तियों/काश्तकारों को ड्राफ्ट पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापन योजना से सम्बन्धित उनके सुझावों एवं आपत्तियां को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/हितबद्ध काश्तकारों द्वारा प्रस्तुत किये गए सुझाव/आपत्तियां:-

i) श्री यशवन्त, मुहाल बाग, ग्राम पंचायत, बाग:-

प्रश्न:- परियोजना प्रभावित परिवारों को परियोजना में स्थाई रोजगार हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार को प्रस्ताव दिया जाना चाहिए। ड्राफ्ट पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापन योजना में Resettlement, Compensation और रोजगार के अलावा और क्या प्रावधान रखा गया है। परियोजना बांध के जल भरव के कारण बहुत सी जगह Sliding का खतरा है इसलिए परियोजना निर्माण से पूर्व Protection Wall का लगना जरूरी है।

उत्तर:- यह स्पष्ट किया गया है कि भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत जिन परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/हितबद्ध काश्तकारों द्वारा योजना के तहत रोजगार का विकल्प चुना जाएगा, उनको शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य कुशलता के आधार पर भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत द्वितीय अनुसूचि में निहित प्रावधान 4 (a) के तहत रोजगार मुहैया करवाना होगा।

सुनवाई के दौरान उप-मण्डलाधिकारी (शिमला-ग्रामीण) द्वारा उक्त अधिनियम, 2013 में दिये गए सभी प्रावधानों के बारे में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/हितबद्ध काश्तकारों को अवगत करवाया गया साथ ही यह स्पष्ट गया कि यदि प्रभावित गांव या प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र के आस पास कोई Sliding Zone आता है तो इस संदर्भ में परियोजना के माध्यम से गांव एवं परियोजना क्षेत्र की सुरक्षा के दृष्टिगत Protection works किये जाएंगे।

ii) श्री देवेन्द्र कुमार, मालगी, ग्राम पंचायत, ओगली:-

प्रश्न:- ड्राफ्ट पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापन योजना में भूमिहीन परिवारों को केवल 02 बिस्वा का प्रावधान है। मेरे पास पशु भी है। केवल इतनी भूमि से मेरा क्या होगा। मेरा घर तथा मेरी पूरी भूमि परियोजना में जलमग्न हो रही है।

उत्तर:- यह स्पष्ट किया गया कि भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ही पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापन सम्बंधी प्रक्रियाओं को अमल में लाया जाएगा।

iii) श्री श्याम लाल, मालगी, ग्राम पंचायत, ओगली:-

प्रश्न:- ड्राफ्ट पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना रुपये 5 लाख के बदले विकल्प रोजगार परियोजना में स्थाई रूप से होना चाहिए। अधिसूचना-11 के बाद उक्त मुहाल बने नए भवनों को ड्राफ्ट पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना में दर्ज नहीं किये जाने चाहिए।

उत्तर:- यह स्पष्ट किया गया कि भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ही पुर्नवास एवं पुर्नव्यस्थापन सम्बन्धी प्रक्रियाओं को अमल में लाया जाएगा।

iii) श्री लीलादास पुत्र सूरत राम, मालगी, ग्राम पंचायत, ओगली:-

प्रश्न: - परियोजना निर्माण से मेरी पूरी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है तथा मेरे पास केवल मकान बच रहा है। यदि Resettlement सुन्नी में होगा तो क्या होगा।

उत्तर:- यह स्पष्ट किया गया कि भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ही पुर्नवास एवं पुर्नव्यस्थापन सम्बन्धी प्रक्रियाओं को अमल में लाया जाएगा।

iv) संयुक्त :- संयुक्त तौर पर लोगों ने यह कहा कि उनहे पक्का राजगार दिया जाना चाहिए व ठेकेदारों के द्वारा नही मिलना चाहिए व रोजगार से जुडे मामले को हिमाचल सरकार द्वारा केद्र सरकार तक पहुंचाया जाना चाहिए।

अन्त में उप-मण्डलाधिकारी (शिमला-ग्रामीण) द्वारा उपस्थित सभी हितबद्ध कास्तकारों को यह भी सूचित किया गया कि उपरोक्त के अतिरिक्त ड्राफ्ट पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना से सम्बन्धित यदि कोई अन्य हितबद्ध कास्तकार अपने सुझाव एवं आप्तियां लिखित रूप में भी कार्यालय तहसीलदार सुन्नी, भू-अर्जन अधिकारी, सुन्नी एवं कार्यालय उप मण्डलाधिकारी, (शिमला-ग्रामीण) को जमा करवाया जा सकता है।

उप-मण्डलाधिकारी

(शिमला-ग्रामीण)
Sub-Divisional Officer (Civil)
शिमला, जिला शिमला, हि.प्र.।
SHIMLA (RURAL)

